उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226010

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का विजन

- *"कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नये ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा किसानो एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना"*

नीति का उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन यू0एस0 डॉलर अर्थात रू0 17,591 करोड के वर्तमान मूल्य से दोगुना करेना।
- पर्यावरण को रक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना और अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्य वर्द्धित उत्पादों की ओर गर्मन।
- निर्यात के लिए उन संभावित कृषि फसलों और उत्पादों की पहचान करना और बढ़ावा देना जो देशी एवं जैविक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन करने और इसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्यप्रणाली बनाना।
- निर्यात योग्य कृषि उत्पादों और वैश्विक अवसरों से संबंधित जानकारी को किसानों तक पहुँचाने के लिए ढांचा विकसित करना।
- कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य में मुख्य विभागों के बीच सहक्रियाशील अवसरो पर ध्यान देना।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

क्रम सं.	समिति का पद	आधिकारिक पदनाम
1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2	उपाध्यक्ष	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
क.राज्य सरकार के कृषि निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ-17 ख. केंद्र सरकार के निर्यात संबंधी विभाग/ संस्थाएँ-8		
ग. अन्य सदस्य		
1	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
2	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित दो (02) प्रख्यात निर्यातक
3	सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक चैम्बर्स के दो (02) प्रतिनिधि

मंडल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति

- अध्यक्ष- मण्डलायुक्त
- 17 मण्डल स्तरीय विभागो एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि सहित सदस्य नामित
- अध्यक्ष द्वारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
- अध्यक्ष द्वारा नामित मण्डल के दो (02) प्रख्यात निर्यातक

जिला स्तर पर **क्लस्टर सुविधा इकाई**

- अध्यक्ष- जिलाधिकारी
- 12 जनपद स्तरीय विभागो एवं केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि सहित सदस्य नामित
- अध्यक्ष दवारा प्रगतिशील किसान एवं /अथवा एफेपीओ में से नामित दो (02) सदस्य
- अध्यक्ष दवारा नामित जनपद के दो (02) प्रख्यात निर्यातक

निर्यात उन्मुख क्लस्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन

- इस नीति के अन्तर्गत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर की कृषि भूमि होनी चाहिये, यह भूमि 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरन्तरता में हो, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्लस्टर सुविधा इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

- यह प्रोत्साहन क्लस्टर निर्माण, पंजीकरण और निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर सम्बन्धित संस्था को ही निर्यात एवं अच्छी कृषि पद्धति के सम्बन्ध में प्रसार हेतु नीति के अनुसार 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक के क्लस्टर को 5 वर्षों में रुपया 10 लाख

- नीति की तालिकानुसार क्लस्टर का क्षेत्रफल बढ़ने पर धनराशि में रुपये 6 लाख की बढ़ोत्तरी अनुमन्य होगी। इसमें से प्रथम वर्ष में 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष आगामी चार वर्ष तक निर्यात होने पर दिया जायेगा।
- स्वीकृताधिकारी-मण्डलायुक्त, वितरण आनलाइन भुगतान द्वारा।

क्लस्टर्स के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए निर्यात आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था

- यह प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रूपया 25 लाख, जो भी कम हो, निर्यात प्रारम्भ करने के वर्ष से 05 वर्षों तक दिया जायेगा ।
- यह केवल नई इकाइयों, जो क्लस्टरों के पास स्थापित की जायेंगी, को ही देय होगा ।
- इसके लिए उक्त इकाई को क्रय किए गए कृषि उत्पाद को मौलिक अथवा प्रसंस्कृत रूप में न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात करना होगा।
- यह प्रोत्साहन धनराशि राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति के अनुमोदन से नोडल एजेन्सी द्वारा आनलाइन भुगतान।

कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान

- कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर राज्य स्तरीय निर्यात निगरानी समिति के द्वारा परिवहन अनुदान (वायु मार्ग/ सडक मार्ग/ जल मार्ग) दिया जायेगा।
- दरों का निर्धारण निम्नवत् है:-

➢ वायु मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 10 (रूपया दस) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाडे का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

➢ जल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान रू0 05 (रूपया पॉच) प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाडे का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो।

❑ परिवहन अनुदान मद में प्रतिवर्ष अधिकतम रू0 10 लाख प्रति निर्यातक/फर्म को देय होगा।

❖ उक्त परिवहन अनुदान मांस एवं चीनी के निर्यात पर देय नहीं होगा।

❖ यह परिवहन अनुदान निर्यातक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिया जायेगा कि उनके द्वारा अन्य किसी स्रोत/विभाग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया गया है ।

कृषि निर्यात/ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/ डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहन

- कृषि निर्यात और पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/ सरकारी संस्थानों में वार्षिक फीस की 50 प्रतिशत या रुपया 0.50 लाख प्रति छात्र की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।
- 15 महीने से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए रुपया 1.0 लाख दिया जाएगा।
- इस प्रकार के उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले राजकीय संस्थानों को एक मुश्त रूपया 50 लाख अनुदान दिया जायेगा ।
- स्वीकृताधिकारी-मण्डलायुक्त, वितरण आनलाइन भुगतान द्वारा।

धन्यवाद